न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 09/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–ओमाराम पुत्र तुलछाराम 2–मुनाराम पुत्र तुलछाराम 3–बुद्धाराम पुत्र तुलछाराम 4–उदाराम पुत्र तुलछाराम 5–छेलाराम पुत्र तुलछाराम 6–चौखाराम पुत्र तुलछाराम 7–राजूराम पुत्र मगाराम 8–सुरताराम पुत्र मगाराम 9–मूलाराम पुत्र मगाराम सभी जाति जाट निवासीगण गुंदियासर, ढांढणिया भायला, तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– लादाराम पुत्र चुतराराम 2– बागाराम पुत्र चुतराराम 3– गंवरी पत्नी चुतराराम 4– राणाराम पुत्र कुम्भाराम 5– मुन्नाराम पुत्र कुम्भाराम 6– नथाराम पुत्र कुम्भाराम सभी जातियान जाट निवासीगण जाटी भाण्डू तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–6–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या शून्य/2018 अनवान लादाराम वगैरा बनाम सरकार मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2018 केम्प भालू अनोपगढ मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष न्याय आपके द्वार केम्प भालू अनोपगढ मे इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि उसके द्वारा उसके खातेदारी की भूमि ग्राम गुन्दियासर पटवार मण्डल ढाढणियां भायला तहसील बालेसर के खसरा नंबर 159/4 रकबा 30 बीघा एवं खसरा नंबर 159/3 रकबा 06 बीघा की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया, जिसमे उक्त खसरा नंबर के किसी पडोसी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया, केवल तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–6–18 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त विवादित आराजी के संबंध मे किसी न्यायालय से स्थगन न हो तो भूमि की पैमाईश आस पास के खातेदारो को 7 दिन पूर्व सूचित कर आसपास के खातेदारो के रूबरू नियमानुसार सीमाज्ञान कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र मे पारित किया गया आदेश अपीलांटगण को बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे जिन खसरा नंबरान 159/4 एवं 159/3 की नेखमबंदी करवाने के लिए वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 से 6 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, अपीलांटगण उक्त वर्णित भूमि के पडौसी खातेदार है अपीलांटगण के खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 162/1 व 162 है जो अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार है तथा यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार से सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होने का कथन करते हुए पेश किया था तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व बिना मौके की जांच करवाई जाना आवश्यक था परंतु इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य हैं ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दिनांक 28–5--18 को पटवारी हल्का व आर. आई. द्वारा मौके का नाप कर सीमाओ पर कच्चे मुटाम लगवाने का जो उल्लेख किया है, गलत है क्योकि दिनांक 28–5–18 को पटवारी हल्का व आर. आई. द्वारा अपीलाधीन भूमि पर किसी प्रकार की कोई पेमाईश नही की गई और न ही फर्द पैमाईश तैयार की गई, यदि किसी प्रकार की फर्द तैयार की भी गई है तो वह एकपक्षीय अपने कार्यालय मे बैठकर ही बनाया जाना प्रतीत होता है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे तहसीलदार को भू मापक आयुक्त बनाकर नेखमबंदी का एकतरफा आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार को नेखमबंदी का कार्य अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी से करवाने की छूट नही है परतु वर्तमान मामले मे तहसीलदार ने भू अ. निरीक्षक आगोलाई व पटवारी ढांढणियां भायला को अपने निर्णय मे जो आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से अपीलांट प्रभावित होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपील के साथ प्रस्तुत की है तथा उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो को स्वीकार कने का निवेदन किया तथा अंत मे अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

अति० संभागीय आयुक्त, जोधपुर

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी के खेत का सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी करवाने का अधिकार है इसलिए रेस्पो0गण के खातेदारी के खेत तथा पडौसी के खातेदारी खेत के बीच मे कोई पक्की माठ मौके पर मौजुद नही होने से पडोसी खातेदारो से सीमा को लेकर विवाद की स्थिति को समाप्त करने के लिए हमने अधीनस्थ न्यायालय मे नेखमबंदी बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकोल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे अपीलाधीन भूमि की पैमाईश आस–पास के खातेदारो को 7 दिन पूर्व सूचित कर आस–पास के खातेदारो के रूबरू नियमानुसार सीमाज्ञान कर नेखमबंदी करने का आदेश पारित किया है तो अपीलांट को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–18 का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत धारा 111 व 128 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे ग्राम गुदियासर के खसरा नंबरान 159/4 एवं 159/3 की नेखमबंदी करवाने के लिए निवेदन किया था, जिसमे केवल तहसीलदार बालेसर को ही पक्षकार बनाया गया, अन्य पडौसी खसरान के किसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया जबकि इस न्यायालय मे अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मौजा गुन्दियासर के अवलोकन से प्रकट है कि खसरा नंबर 159 से लगता अन्य खसरा नंबरान 160, 161, 162 एवं अन्य खसरा नंबरान भी है परंतु पडौसी खसरान के किसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि पत्थरगढी के मामलो मे पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाकर उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन करने पर उक्त सीमांकन रिपोर्ट पर कोई दिनांक अंकित नही है, उक्त सीमांकन रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की गई है तथा उक्त सीमांकन रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 162/1 व 162 के खातेदारान (वर्तमान अपीलांटगण)के हस्ताक्षर अथवा अंगुठा निशान नही है जबकि नेखमबंदी के आदेश पारित करने से पूर्व निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट रेकर्ड पर होना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे सीधा सीमाज्ञान कर नेखमबंदी करने का आदेश पारित कर दिया है जबकि नियमानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट पर आपत्तियों की सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–18 (आदेशिका अनुसार) को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि ग्राम गुदियासर के खसरा नंबरान 159/4 एवं 159/3 के पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे नये सिरे से सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त करे तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्तियो को निस्तारित करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान 159/4 एवं 159/3 के पडौसी खातेदारान एवं अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत नेखमबंदी के संबंध मे नये सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर